



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1565/CG/6/2023-ESDW

दिनांक: 24/4/23


डॉ. (सुश्री) प्रियंका शुक्ला,
कलेक्टर,
जिला कांकेर,
कलेक्टर ऑफिस,
बस स्टैंड के पास,
जिला-कांकेर,
छत्तीसगढ़-494334
E-mail: kanker.cg@nic.in

विषय: गैर आदिवासी द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के संबंध में श्री राजेन्द्र दर्रो, पिता स्व. घस्सूराम दर्रो,, निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव, तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ से दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री राजेन्द्र दर्रो से दिनांक 13.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री राजेन्द्र दर्रो,
पिता स्व. घस्सूराम दर्रो,
निवासी ग्राम-बडगांव, थाना-बडगांव,
तहसील-पंखाजूर, जिला-कांकेर,
छत्तीसगढ़
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।